प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 103/2023
अनवान : –

1. नत्थुराम पुत्र रणजीत जाति मेघवाल निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

–प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 15/5/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने यह वाद जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 12 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता 53/52 की कुल 4.1750है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि व खाता स0 54/53 की कुल 1.0120है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में का नाम नत्थुराम पुत्र जीतराम दर्ज जबकि वादी के दस्तावेजात यथा पैन कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस आदि में वादी का सही नाम नत्थुराम पुत्र रणजीत है। राजस्व रिकार्ड में वादी का पता गलत दर्ज होने से वादी अपने हक हिस्सा की भुमि का सही प्रकार से उपयोग उपभोग नही कर पा रहे है। वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम नत्थुराम पुत्र जीतराम के स्थान पर नत्थुराम पुत्र रणजीत दर्ज करवाना चाहता है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर देवे क्योकि राजस्व रिकार्ड मे ना तो कोई हिस्सा कम होगा ना ही ज्यादा तो प्रतिवादी स0 1 कुछ दिन आजकल आजकल करते रहे आखिर इन्कार हो गये। इसी कारण वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में रोही मौजा 12 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता 53/52, जमाबंदी खाता स0 54/53, पैन कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस आदि पेश किये।

तहसीलदार नोहर द्वारा अपने पत्रांक 2324 दिनांक 01.03.2023 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की पेश कि गई कि उक्त वाद भूमि में नामान्तरण 365 दिनांक 12.01.2023 करे न्यायालय आदेश से दर्ज हुआ है। प्रार्थी के दस्तावेजों में नत्थुराम पुत्र रणजीत दर्ज है। नत्थुराम पुत्र जीतराम एवं नत्थुराम पुत्र रणजीत एक ही व्यक्ति के नाम है अतः नत्थुराम पुत्र रणजीत के स्थान पर नत्थुराम पुत्र रणजीत उर्फ जीतराम किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:18:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया किया कि वाद भूमि में वादी का नत्थुराम पुत्र जीतराम दर्ज है जबकि वादी के सभी दस्तावेजों में नाम नत्थुराम पुत्र रणजीत दर्ज है इसी अनुसार दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर वाद का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा 12 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता 53/52 की कुल 4.1750है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि व खाता स0 54/53 की कुल 1.0120है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें वादी द्वारा उक्त वाद भूमि में नाम नत्थुराम पुत्र जीतराम के स्थान पर मुताबिक दस्तावेज नत्थुराम पुत्र रणजीत करने हेतु निवेदन किया है। तहसीलदार नोहर, भू0अ0 निरीक्षक, पटवारी हल्का द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में भी वादी का नाम नत्थुराम पुत्र जीतराम उर्फ रणजीत सही करने हेतु अभिशंषा की गई है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी साक्ष्य सबूतों/शपथ पत्र व तहसीदार नोहर की रिपोर्ट के आधार पर मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों/शपथ पत्र एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 12 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता 53/52 की कुल 4.1750है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि व खाता स0 54/53 की कुल 1.0120है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें **वादी का नाम नत्थुराम पुत्र जीतराम के स्थान पर सही नाम नत्थुराम पुत्र रणजीत के अंकन की घोषणा की जाती है।** किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। यदि किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि नत्थुराम पुत्र जीतराम के नाम से हो तो उसके लिए वादी का नाम नत्थुराम पुत्र जीतराम ही लागू होगा। नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15/5/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:18:51 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–..........................

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 103/2023

अनवान : –

1. नत्थुराम पुत्र रणजीत जाति मेघवाल निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

–प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 103 सन 2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों/शपथ पत्र एवं तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 12 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता 53/52 की कुल 4.1750है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि व खाता स0 54/53 की कुल 1.0120है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें **वादी का नाम नत्थुराम पुत्र जीतराम के स्थान पर सही नाम नत्थुराम पुत्र रणजीत के अंकन की घोषणा की जाती है।** किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। यदि किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि नत्थुराम पुत्र जीतराम के नाम से हो तो उसके लिए वादी का नाम नत्थुराम पुत्र जीतराम ही लागू होगा। नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/12/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–पदमपुरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:18:51 IST
Reason: SelfAttested